

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2020/1054


दिनांक: 01 अक्टूबर, 2020

परिपत्र

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग की आज्ञा दिनांक 15.09.2020 के क्रम में कॉलेज शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राज्य में कोविड-19 की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए स्थानान्तरण के लिये आवेदक का प्रार्थना पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया (परिशिष्ट-ख) के अनुसार स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किया जावेगा। इस बाबत कोई भी आवेदक कार्यालय में किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होगा और न ही विभाग कागजी आवेदन पत्र पर विचार करेगा।
2. इन स्थानान्तरणों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता की पूर्ण पालना की जावेगी।
3. किसी भी कार्मिक की एक स्थान पर न्यूनतम ठहराव अवधि तीन वर्ष से कम होने पर एवं परीवीक्षाधीन कार्मिकों के स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम स्तर से निर्णय लिया जावेगा तथापि छात्र/राज्य हित में विभागीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम स्तर से किया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.10.2020 तक ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

संलग्न :- परिशिष्ट- 2



(बी.एल.गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2020/1054

दिनांक: 01 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
5. वेबसाइट प्रभारी विभाग की वेबसाइट पर आदेश को अपलोड करे।


(डॉ.आर.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

आवेदन का प्रारूप

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम
2. संवर्ग (RES/RVRES/OTHERS)
3. प्रथम नियुक्ति तिथि
4. सेवानिवृत्ति तिथि
5. कर्मचारी (Employee) आई.डी. संख्या
6. विषय
7. गृह जिला
8. वर्तमान पदस्थापित महाविद्यालय का नाम एवं कब से पदस्थापित है। (RVRES संवर्ग के कार्मिक संबंधित नगरपालिका/ग्रामीण क्षेत्र का भी उल्लेख करें।)
9. यदि कार्मिक परीवीक्षा में है तो परीवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि
10. स्थानान्तरण का कारण (विशेष परिस्थितियों के संबंध में वांछित दस्तावेज संलग्न करें।)
11. स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में कोई विधिक प्रकरण लम्बित हो तो उसका विवरण अंकित करें।
12. यदि एन.सी.सी. अधिकारी है तो प्रशिक्षण की अवधि सहित उल्लेख करें।
13. यदि एन.सी.सी. अधिकारी है तो आवेदित महाविद्यालय में एन.सी.सी. संचालित है या नहीं ?
14. यदि अन्य महाविद्यालय में कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत है तो उसका विवरण (महाविद्यालय का नाम, आदेश क्रमांक, दिनांक व अवधि) का उल्लेख करें।
15. स्थानान्तरण हेतु प्राथमिकता क्रम में तीन महाविद्यालयों के नाम (RVRES संवर्ग के कार्मिक संबंधित नगरपालिका/ग्रामीण क्षेत्र का भी उल्लेख करें।)
 1. _____
 2. _____
 3. _____

हस्ताक्षर मय दिनांक
(नाम व पदनाम सहित)
मोबाइल न.

आवेदन पत्र मूल ही यथोचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षर प्राचार्य/संबंधित अधिकारी

STEPS FOR FILLING TRANSFER APPLICATION FORM

- Go to <https://ssotest.rajasthan.gov.in/signin>
- Give Username, password and Captcha then press Login
- In SSO_ID open "Citizen App (G2C)"
- Click on "HTE App"
- Select "Department of College Education (DCE)" in Organization
- Select "College Management" in Application
- Press CONTINUE
- Click on "Transfer Application Form"
- The Application form with saved data will open.
- Fill the Transfer Application form and edit the data if any discrepancy.
- Upload the document, if any, only one file can be downloading.
- After filling and checking the form press "Save and continue".
- A message of Successful Submission will be appeared.
- The filled Transfer Application form will be viewed by "View Transfer Application"

Note:

- *The Transfer Application form will be filled only once, so be careful before pressing "Save and Continue" Button.*
- *If HTE app not mapped with SSOID then contact nodal officer for mapping.*